

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/(परिवीक्षा द्वितीय)/2017/

दिनांक :

आदेश

निम्नलिखित कनिष्ठ लिपिकों को उनके परिवीक्षा अवधि सन्तोषप्रद पूर्ण करने के फलस्वरूप राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 के तहत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 14 (1)एफ.डी/(रूल्स)2013-11 दिनांक 28.06.13 की अनुपालना में दो वर्ष की परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि से 9840 (5200-20200 रनिंग पै व ग्रेड पै 2400) से उनके नामों के सम्मुख अंकितानुसार वेतन नियतन किया जाता है।

क्र.स.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	प्रथम नियुक्ति तिथि	2 वर्ष पश्चात परिवीक्षा पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि	कम्प्यूटर योग्यता आर.एस.सी.आई.टी./प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण तिथि
1	श्री धीरज कुमार पारीक, लिपिक ग्रेड द्वितीय	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, काछोला, भीलवाड़ा।	30.04.2015	30.04.2017	05.02.2016 (RSCIT)
2	श्री प्रमोद कुमार शर्मा, लिपिक ग्रेड द्वितीय	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोटला, भीलवाड़ा।	12.10.2012	12.10.2014	23.11.2013 (RSCIT)

नोट:-उपरोक्त कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का नगद लाभ टंकण परीक्षा उत्तीर्ण तिथि से देय होगा।

51  
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/(परिवीक्षा द्वितीय)/2017/1747

दिनांक : 25/04/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा।
2. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, काछोला/पोटला, जिला भीलवाड़ा।
3. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करे।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज0 जयपुर